न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 109 / 2025	2025 / 96	06.03.2025	28.05.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज0। —प्रार्थी

बनाम

1. रसाल देवी पत्नी कालूसिंह,
2. सुनील पुत्र कालूसिंह,
3. श्रवण पुत्र कालूसिंह,
4. अनाम पुत्री कालूसिंह—मृतक
5. उमा पुत्री कालूसिंह,

समस्त जातियान ठाकुर, निवासीयान अमरा का बास तहसील थानागाजी, जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

02— अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

तहसीलदार थानागजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम अमरा का बास तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 197 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम अमरा का बास की भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय थानागाजी के आदेश दिनांक 08.03.1969 के द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 1.26 है0 भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 09 स्वीकृति दिनांक 30.05.1975 के द्वारा गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है।

उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर संवत 2032 से 2073 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है। पड़त भूमि दर्ज है तथा आवंटी द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों/नियमों की पालना न किये जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडियावास दिनांक 20.12.2024 उक्त विवादित आवंटित आराजी खसरा नंबर 197 रकबा 1.26 है0 किस्म बारानी तृतीय के आवंटी कालूसिंह पुत्र रामनाथ सिंह कौम ठाकुर सा0 थानागाजी के नाम गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जॉच रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भागडोली अप्रार्थी/आवंटी को आवंटित खसरा नंबर 197 रकबा 1.26 है0 मौके पर खाली पड़त पड़ा हुआ है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं है। उक्त आराजी मौके पर वन विभाग के क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उक्त खरा नंबर पर आवंटी/अप्रार्थी एवं बाद आवंटी के वारिसान का कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि पर संवत 2032 से 2073 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है एवं पड़त भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित खसरा नंबर 197 रकबा 1.26 है0 भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से आदिनांक तक कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी द्वारा अप्रार्थीगण रसाल देवी पत्नी कूलसिंह, सुनील, श्रवण पुत्रान कालूसिंह व अनार, उमा पुत्रीयान कालूसिंह जाति ठाकुर सा0 थानागाजी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 1.26 है0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम अमरा का बास तहसील थानागाजी की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 08.03.1969 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)